भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- **366**

दिनांक **19** जुलाई, 2022 के लिए प्रश्न

दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

366. श्री एन. रेड्डप्प:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की शुरूआत की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार देश में पशुधन आबादी के बीच बीमा की कम पहुंच से अवगत है;
(घ) यदि हां, तो इसमें सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) देश में पशु चिकित्सालयों का कुल पशुधन आबादी की तुलना में अनुपात क्या है; और
(च) सरकार द्वारा इस अनुपात में सुधार लाने और पशुओं के लिए चिकित्सा देखभाल को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार देश में दूध की खरीद और बिक्री की कीमतों को विनियमित नहीं करता है। कीमतें सहकारी समितियों और निजी डेयरियों द्वारा उनकी उत्पादन लागत और बाजार की शक्तियों के आधार पर तय की जाती हैं। दूध की कीमत सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के कारण इस विभाग के पास देश में दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करके इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, किसानों के बीच बीमा योजना की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए, मौजूदा 1 साल और 3 साल की बीमा योजना में दो साल का बीमा कवरेज भी जोड़ा गया है। किसानों को बेहतर मुआवजा मिले इसके लिए प्रीमियम दरों में संशोधन किया गया है।

(ड़) 20वीं पशुधन संगणना रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2019 को, देश में 37726 पशु चिकित्सा अस्पताल और डिस्पेंसरियां हैं। पशुधन आबादी के मुकाबले पशु चिकित्सा संस्थाओं (पशु चिकित्सा अस्पताल और डिस्पेंसरियां) अनुपात 1:14228 है

(च) अनुपात में सुधार करने और पशुधन के लिए बेहतर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए, सरकार ने वर्ष 2021-22 से "पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना" लागू की है, जो पशुधन मालिकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए के हर एक लाख पशुधन आबादी पर एक फेब्रिकेटिड मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई (एमवीयू) प्रदान करती है। इस योजना में फेब्रिकेटिड मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की खरीद के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इन मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा नैदानिक और उपचार सेवाओं के संचालन पर आवर्ती व्यय के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय हिस्सा 90%, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और अन्य सभी राज्यों के लिए 60% है। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान 4332 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद के लिए 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 681.57 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

****